

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर कोर्ट कैम्प सेड़वा

पीठासीन अधिकारी—श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 17/2014

अपीलांट

बनाम्

1. लुम्भाराम पुत्र मांसीगाराम  
2. पोकरराम पुत्र मांसीगाराम  
3. जुंजाराम पुत्र हेमाराम  
4. रामलाल पुत्र हेमाराम  
5. पारुदेवी पत्नि हेमाराम  
जाति जाट निवासी पाबूबेरी  
तहसील, सेड़वा

रेस्पोडेंट्स

1. भीयाराम पुत्र सालुराम  
2. पनाराम पुत्र सालुराम  
3. दीपाराम पुत्र सालुराम  
4. विशनाराम पुत्र सालुराम  
5. हेमी बेवा सालुराम  
जाति जाट निवासी पाबूबेरी  
तहसील, सेड़वा  
6. मैनेजर स्टेट बैंक आफ  
बीकानेर एण्ड जयपुर ब्रांच  
बामड़ला  
7. तहसीलदार, सेड़वा




राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांक 07.09.2010 द्वारा तहसीलदार, सेड़वा।

उपस्थित:— 1. अपीलांट सं. 01 से 04 मय अधिवक्ता श्री बाबुलाल विशनोई उपस्थित।  
2. रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 उपस्थित, 05 व 06 अनुपस्थित।  
3. रेस्पोडेंट सं. 07 तहसीलदार सेड़वा उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 10.06.2016

- संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 से 05 की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 286/105 रकबा 125 बीघा ग्राम पाबूबेरी में आयी हुई थी। जिसमें प्रत्येक का 1/2, 1/2 हिस्सा है। अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 से 05 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार सेड़वा के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार सेड़वा ने बाद जाँच अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2010 द्वारा पक्षकारान की आपसी सहमति का प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर दिया। इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर मयाद सुमार करने का भी निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किया गया।

  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोंडेंटस को सम्मन किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की।
3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट सेड़वा में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामिल करा दी गई थी। अपीलांट संख्या 01 से 04 व इनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोंडेंट संख्या 01 से 04 उपस्थित रहे। रेस्पोंडेंट संख्या 05 व 06 बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित रहे। रेस्पोंडेंट संख्या 06 तहसीलदार सेड़वा उपस्थित रहे।
4. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार सेड़वा द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 07.09.2010 के विरुद्ध पेश की है। अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेंट संख्या 01 से 05 की संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम पाबबुरी में खसरा नम्बर 286/105 रकबा 125 बीघा आयी हुई थी। अपील पत्र के अवलोकन से अपीलांट ने अपनी अपील में यह कही नहीं बताया कि उसे वादग्रस्त भूमि के कितने क्षेत्रफल का हिस्सा बंटवाड़ा में कम दिया गया तथा यह भी नहीं बताया कि विभाजन आदेश में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के किन प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेंट संख्या 01 से 05 ने अपनी इस संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार सेड़वा के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। इस प्रार्थना पत्र पर अपीलांट एवं रेस्पोंडेंटस के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान है। पहिचानकर्ता पटवारी हल्का केकड़ ने पहचान दी है। जिसके आधार पर तहसीलदार सेड़वा ने चौसाला जमबांदी, नक्शा मे दर्शाये अनुसार एवं मौके अनुसार सह खातेदार काबिज होने के अनुसार विभाजन प्रस्ताव सही होने से अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2010 द्वारा विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इसमें कोई वैधानिक त्रुटि एवं अनियमितता प्रतीत नहीं हुई है।
5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2010 यथावत कायम रखा जाता है।



*(Handwritten signature)*

(सुधीर कुमार शर्मा)  
जिला कलक्टर, बाड़मेर  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

आदेश खुले न्यायालय कैम्प सेड़वा में आज दिनांक 10.06.2016 को सुनाया गया।

*(Handwritten signature)*  
जिला कलक्टर, बाड़मेर  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर